से 290 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वांछनीय सहायता प्रदान करने से इंकार किए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से प्राप्त दिनांक 14 जनवरी, 1992 के पत्र के अनुसरण में एक उत्तर भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि स्थानीय प्राधिकारी कामगार सहकारी समितियां बनाने का प्रयास कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार ए० ए० आई० एफ० आर० ऐसे प्रयास के लिए अपनी हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें कामगार सहकारी समितियों द्वारा रुग्ण मिलों के अधिग्रहण करने/चलाने के लिए इक्विटी अंशदान की व्यवस्था हो। तथापि, राज्य सरकारें/सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान कामगारों द्वारा सहकारी समितियों के आधार पर मिलों को चलाने के लिए इक्विटी अंशदान प्रदान करते हैं।

Rejuvenation of Ailing Jute Mills

2601. Shri KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether Government propose to spend nearly Rs. 150 crores during the next few years to rejuvenate the ailing jute industry;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any jute mills have been indentified which are ailing since the last three years; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) to (d) A Jute Modernisation Fund, with a corpus of Rs. 150 crores was created w.e.f. November 1, 1986 to cater to the modernisation requirements of the jute industry. The Fund provides special loans at a concessional interest rate of 6 per cent p.a. to meet up to 80 per cent of the promoters contribution of weak units which can thereby avail of modernisation assistance. The special loans are repayable over a period of 12 years with a moratorium for the first six years.

Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the nodel agency administering this fund had received till 31st October, 1992, a total number of 39 applications for assistance under this fund out of which 5 had later been withdrawn. A sum of Rs. 88.58 crores was sanctioned in respect of 22 cases, out of which Rs. 36.54 crores had been disbursed in 14 cases.

कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

2602 **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ कपड़ा मिलों को बन्द करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिलों के बन्द होने के कारण प्रभावित हुए मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने एन० टी० सी० और वी० आई० सी० वस्त्र मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। चुनिन्दा आधुनिकीकरण वित्तीय और प्रबन्धकीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति